[2022] 11 S.C.R. 184

बीएलए इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरवादी

रिट याचिका (सिविल) संख्या 63 2015,

निर्णय तिथि : 17-08-2022

एन.वी. रमना, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, जे.जे.

निर्णय:

हिमा कोहली, जे.

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 [संक्षिप्त में 'अध्यादेश'] से जुड़ी अनुसूचियों में अपना नाम और खनन पट्टा क्षेत्र में शामिल करने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 1-कोयला मंत्रालय, भारत संघ [संक्षेप में 'यूओआई'] के खिलाफ शिकायत उठाई है। हालांकि, कोयला मंत्रालय, भारत संघ द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने इसे कोई कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया था।

2. याचिका में वर्णित घटनाओं के प्रासंगिक कालक्रम पर एक त्वरित नज़र डालना आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने कोयला खनन करने की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर जिला, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश को धारा 2, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 [संक्षेप में 'एफसी अधिनियम'] के तहत 8 नवंबर, 1994 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। वन भूमि पर 21 नवंबर, 1994 को, याचिकाकर्ता ने खनिज रियायत नियम, 1960 [संक्षिप्त 'एमसी नियम'] के तहत फॉर्म- । में उत्तरवादी क्रमांक 2-मध्य प्रदेश राज्य [संक्षेप में 'राज्य सरकार'] को वन भूमि पर खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया । याचिकाकर्ता ने 7 अप्रैल, 1995 को, धारा 5 (2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [संक्षेप में 'एमएमडीआर अधिनियम'] के तहत उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई को एक आवेदन, खनन योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया ।

3. 15 मई, 1995 को, जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर ने याचिकाकर्ता के आवेदन को उसके पक्ष में खनन पट्टा देने की सिफारिश के साथ उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को भेज दिया। उसी महीने, खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में आवश्यक

विवरण मांगने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 1,यूओआई से प्राप्त पत्र 5 मई 1995 के जवाब में, याचिकाकर्ता ने 19 मई 1995 के पत्र के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान की। 15 दिसंबर, 1995 को, उत्तरवादी क्रमांक 1, यूओआई ने याचिकाकर्ता को एक पत्र जारी किया, जिसमें बिजली उत्पादक जो लोहा और इस्पात के निर्माण में लगी कंपनियाँ थी जो कैप्टिव खनन से संबंधित प्रस्तावों की स्क्रीनिंग के लिए 20 दिसंबर, 1995 को निर्धारित बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होने का आह्वान किया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने 20 दिसंबर, 1995 को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आयोजित 9 वीं बैठक में भाग लिया।

4. 23 दिसंबर, 1995 को, उत्तरवादी क्रमांक 2, राज्य सरकार के खनिज संसाधन विभाग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में ग्राम मोहपानी, रिछाई और चारगांवखुर्द में स्थित 249.243 हेक्टेयर क्षेत्र पर 30 साल की अवधि के लिए कोयले का खनन पट्टा अनुदान के लिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 5(1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई को एक पत्र लिखा था। 21 जून, 1996 को, उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई ने याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के मोहपानी कोयला क्षेत्र में "गोटिटोरिया (पूर्व और पश्चिम) कोयला ब्लॉक" की पहचान की थी। कैप्टिव पावर प्लांट और याचिकाकर्ता को निर्दिष्ट ब्लॉकों का खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। प्रासंगिक रूप से, उपरोक्त पत्र की एक प्रति उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार को चिह्नित नहीं की गई थी। इसके बजाय, इसे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को चिह्नित किया गया था। तथ्य यह है कि उक्त पत्र उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार को समर्थित नहीं था, इसकी पुष्टि उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 [संक्षेप में 'आरटीआई'] के तहत एक आवेदन में उठाए गए प्रश्न दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के अपने उत्तर में भी की थी।

5. अपनी ओर से, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 1-भारत संघ द्वारा भेजे गए 21 जून, 1996 के पत्र का जवाब 3 जुलाई, 1996 को लिखकर दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि वह पहले ही राज्य सरकार को जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के माध्यम से खनन पट्टा देने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर चुका है और उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए कोयला मंत्रालय को उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि खनन पट्टा देने

के लिए उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव को उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।

6. अंत में, उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार को संबोधित पत्र दिनांक 27 अगस्त, 1997 के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 5(1) उपरोक्त पत्र के अनुसरण में, प्रश्नगत क्षेत्र के लिए खनन पट्टा 21 मई, 1998 को याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया गया था। याचिकाकर्ता ने सितंबर, 2001 में कोयला वाशरी ऑपरेशन स्थापित किया था। कोयला खनन कार्य अंततः अक्टूबर, 2014 में शुरू किया गया।

7. लगभग एक दशक बीत जाने के बाद, जनहित याचिकाओं की प्रकृति में याचिकाओं का एक समूह इस न्यायालय के समक्ष इस शिकायत के साथ दायर किया गया था कि कोयला ब्लॉकों को निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना वर्ष 1993 से 2011 के बीच मनमाने ढंग से आवंटित किया गया था। एमएमडीआर अधिनियम और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 [संक्षेप में 'सीएमएन अधिनियम'] के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करके दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्टाचार से ग्रस्त अयोग्य कंपनियों का पक्ष लिया गया। याचिकाओं के उक्त समूह का निर्णय इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव और अन्य, (2014) 9 516 एससीसी में दिनांक 25 अगस्त, 2014 516 [संक्षेप में 'प्रथम निर्णय'] जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 1993 से 2011 के बीच निजी कंपनियों को किए गए कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के संबंध में प्रार्थना पर व्यापक रूप से विचार किया गया और यह माना गया कि केंद्र सरकार द्वारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए की गई कवायद का न तो एमएमडीआर अधिनियम या सीएमएन अधिनियम के तहत पता लगाया जा सका और स्क्रीनिंग कमेटी रूट के माध्यम से लाभार्थियों को कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई प्रथा और प्रक्रिया, पहले से लागू मौजूदा कानून और बनाए गए नियमों के साथ असंगत थी। परिणामतः इस न्यायालय ने घोषणा की कि कोयला ब्लॉकों का संपूर्ण आवंटन, 14 जुलाई, 1993 से उत्तरवादी क्रमांक 1-भारत संघ द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार और 1993 के बाद सरकारी डिस्पेंसेशन रूट के माध्यम से किया गया आवंटन मनमानीपूर्ण और अवैध थे।

8. अवैध आवंटन के नतीजे उसी मामले में दिए गए 24 सितंबर, 2014 के बाद [संक्षेप में 'दूसरे फैसले'] के फैसले का विषय था। कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के सभी परिणामों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, जैसा कि उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई और आवंटियों के लिए उपस्थित वकील ने बताया, इस न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटन को दो श्रेणियों में विभाजित किया। पहली श्रेणी उन आवंटनों के अलावा अन्य आवंटनों की थी जिनका उल्लेख उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा उसके द्वारा दायर परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में किया गया था। दूसरी श्रेणी में परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में उल्लिखित 46 कोयला ब्लॉक शामिल हैं जिन्हें संभवतः कुछ नियम और शर्तें लागू होने पर रद्द होने से "बचाया" जा सकता है। आवंटन की पहली श्रेणी को अदालत ने पूरी तरह से अवैध और मनमाना बताते हुए खारिज कर दिया था। इससे कोयला ब्लॉक आवंटन की दूसरी श्रेणी रह गई जो उत्पादन में आ चुके थे या उत्पादन में आने की संभावना थी।

9. परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में उल्लिखित 46 कोयला ब्लॉकों में से 42 कोयला ब्लॉकों को उक्त रद्दीकरण को प्रभावी करने के लिए छह महीने की छूट अवधि के साथ रद्द कर दिया गया था। प्रासंगिक रूप से, यहां याचिकाकर्ता को आवंटित कोयला ब्लॉकों का उल्लेख परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या 22 और 23 में किया गया था, जिसे दूसरे फैसले के अंत में निकाला गया था। रद्दीकरण को स्थगित करने के अलावा, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

> "38. रद्दीकरण को स्थगित करने के अनुरोध के अलावा, हम विद्वान अटॉर्नी जनरल की इस दलील को भी स्वीकार करते हैं कि फैसले के दायरे में आने वाले कोयला ब्लॉकों और इस आदेश के दायरे में आने वाले चार कोयला ब्लॉकों के अलावा अन्य कोयला ब्लॉकों के आवंटियों को अतिरिक्त लेवी के रूप में उत्खनन किये गये कोयला हेतु 295/- प्रति मीट्रिक टन रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। यह क्षतिपूर्ति राशि सीएजी (कैग) द्वारा किये गये आकलन पर आधारित है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि भूमिगत खदान से कोयला निकालने की लागत पर सीएजी ने विचार नहीं किया हो , लेकिन इस प्रकृति के मामलों में नुकसान की मात्रा निर्धारित करने वाले किसी भी गणितीय रूप से स्वीकार्य आंकड़े पर पहुंचना मुश्किल है। रुपये के नुकसान का अनुमान है, इन मामलों के प्रयोजनों के लिए 295/- प्रति मीट्रिक टन कोयला अनुमानित हानि के रूप में स्वीकार

किया जाता है। इस आधार पर मुआवजा भुगतान तीन महीने की अवधि के भीतर और किसी भी स्थिति में 31-12-2014 को या उससे पहले किया जाना चाहिए। इसके बाद 31-3-2015 तक उत्खनन किये कोयले पर भी 295/- प्रति मीट्रिक टन रुपये की अतिरिक्त लेवी लगेगी।"

10. हमें बहस के दौरान सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता को आवंटित कोयला ब्लॉक पहले ही किसी तीसरे पक्ष को आवंटित किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि इस याचिका में विचार के लिए एकमात्र मुद्दा जो याचिकाकर्ता के दायित्व से संबंधित है, वह निर्देशों के संदर्भ में ऊपर निकाले गए दूसरे निर्णय के पैरा-38 में जारी किया गया उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा मांगे गए अतिरिक्त लेवी के रूप में निकाले गए कोयले के लिए मुआवजे का भुगतान करना है। विशेष रूप से, उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई ने अवमानना याचिका (आपराधिक) संख्या 7/2016 के रूप में पंजीकृत एक अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता पहले और दूसरे निर्णयों की जानबूझकर अवज्ञा कर रहा है, जिसमें कोयला ब्लॉकों के आवंटियों को रु.295/- प्रति मीट्रिक टन की दर से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना था, जिसका भुगतान 31 दिसंबर, 2014 तक किया जाना था। यह कहते हुए कि उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई ने पूर्व आवंटियों के खिलाफ पहले ही अवमानना याचिका संख्या 2/2014 दायर कर दी थी, उपरोक्त अवमानना याचिका, याचिकाकर्ता के खिलाफ दूसरे चरण के लिए अतिरिक्त लेवी का भुगतान करने में विफलता के कारण दायर किया गया है, अर्थात 25 सितंबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक उत्पादित कोयले के लिए जिसे 30 जून, 2015 तक भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अभिमन्यु भंडारी ने तर्क किया कि अध्यादेश से जुड़ी अनुसूची में कोयला ब्लॉकों और उसके खनन पट्टा क्षेत्र के 46 आवंटियों की सूची में याचिकाकर्ता का नाम गलत शामिल किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा दायर अनुलग्नक-1 के क्रम संख्या 22 और 23 पर उसके नाम को उसके पक्ष में वैध रूप से प्रदान किया गया पट्टा रद्द/निरस्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता न तो स्क्रीनिंग कमेटी रूट का लाभार्थी था और न ही सरकारी डिस्पेंसेशन रूट का। इसने उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार को सीधे पट्टा देने के लिए एक आवेदन जमा करके एमएमडीआर अधिनियम/एमसी नियमों के तहत निर्धारित सही प्रक्रिया का पालन किया था और उसके बाद में आवेदन पर कार्रवाई की थी और अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की

गई थी। उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई, याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता पर निकाले गए कोयले के लिए कोई मुआवजा/लेवी नहीं लगाई जानी चाहिए। विद्वान वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो उपरोक्त स्थिति स्पष्ट हो जाती लेकिन ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया।

12. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री बलबीर सिंह ने बताया कि यहां याचिकाकर्ता की तरह ही अवैध आवंटन के लाभार्थियों पर सैद्धांतिक रूप से लेवी लगाई गई है। अतिरिक्त लेवी जुर्माने के साथ-साथ सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त लेवी लगाने का लक्ष्य और उद्देश्य यह था कि चूंकि आवंटन की प्रक्रिया को इस न्यायालय द्वारा मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता सहित उक्त त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के सभी लाभार्थियों को परिणाम भुगतना चाहिए और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। यह कहते हुए कि यह उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी थी जिसने कैप्टिव पावर प्लांट की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कैप्टिव खनन के लिए मध्य प्रदेश में मोहपानी कोलफील्ड में गोटीटोरिया (पूर्व और पश्चिम ब्लॉक) की पहचान की थी। 21 जून, 1996 के आवंटन पत्र के तहत, याचिकाकर्ता को दोनों निर्णयों के तहत कवर किया गया था, लेकिन वह पहले चरण में अतिरिक्त लेवी के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, जिसे 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भुगतान किया जाना था और दूसरे चरण में 30 जून, 2015 को या उससे पहले भुगतान किया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से पहले फैसले के पैरा-125 का उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि 26 तारीख को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की 11वीं बैठक में कुछ अन्य आवंटियों के साथ याचिकाकर्ता का नाम भी उल्लेखित किया गया था। 27 सितंबर, 1997 और एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए आवंटन को इस न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया गया है, तो याचिकाकर्ता अन्य आवंटियों के साथ किए गए किसी भी अलग व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील का खंडन करने के लिए कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, विद्वान एएसजी ने इस न्यायालय का ध्यान मामले में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया था। दूसरा निर्णय इस आशय का था कि सभी पक्ष जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे, उन्हें पहला निर्णय सुनाए जाने से पहले विधिवत

सुनवाई का मौका दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को कई अन्य आवंटियों के साथ सुनवाई का अवसर दिया गया था और उसके बाद ही पहला और दूसरा निर्णय पारित किया गया था।

13. अपने प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उत्तरवादी क्रमांक1 यूओआई की ओर से की गई इस दलील का पुरजोर विरोध किया है कि याचिकाकर्ता को न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया था, जो कि पैरा के अवलोकन से काफी स्पष्ट है। दूसरे निर्णय का पैरा-24, जहां इस न्यायालय ने स्वयं देखा है कि "यह निर्णय किसी भी व्यक्तिगत मामले से संबंधित नहीं है। इसने केवल कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित है और इसे अवैध और मनमाना पाया उन्होंने इस तथ्य को दोहराया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा उसी तरीके और अनुक्रम में दिया गया था जैसा कि इस न्यायालय ने पहले फैसले में मंजूरी दी थी और इसलिए याचिकाकर्ता का मामला उक्त फैसले के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त रुख को मजबूत करने के लिए, विद्वान वकील ने 09 फरवरी, 2016 को उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का भी हवाला दिया, जो याचिकाकर्ता की दलील का समर्थन करता है कि राज्य सरकार का खनन पट्टा देने का निर्णय उसके पक्ष में था। यह केंद्र सरकार और/या स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जारी किए गए किसी भी आवंटन पत्र का परिणाम नहीं था, बल्कि एमसी नियमों के साथ पढ़े गए एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधान के तहत कड़ाई से किए गए अपने स्वयं के स्वतंत्र विचार पर आधारित था।

14. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है और मनोहर लाल शर्मा (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गए 25 अगस्त, 2014 के पहले फैसले और 24 सितंबर, 2014 के दूसरे फैसले की पृष्ठभूमि में रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। वर्तमान मामले में जिस मुद्दे का उत्तर देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को स्क्रीनिंग कमेटी रूट और/या सरकारी वितरण रूट के माध्यम से कोयला खदानें आवंटित की गई थीं। केवल यदि उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई दूसरे निर्णय के संदर्भ में याचिकाकर्ता से प्रतिपूरक भुगतान का दावा करने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं।

15. पहले फैसले को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इस न्यायालय ने माना कि प्रशासनिक मार्ग के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा अपनाई गई प्रथा और प्रक्रिया क़ानून और नियमों के अनुरूप नहीं

थी और एमएमडीआर अधिनियम के तहत कानूनी व्यवस्था राज्य सरकारों पर कोयले के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने या न करने की वैधानिक बाध्यता लगाती है। इस न्यायालय ने स्क्रीनिंग कमेटी रूट के माध्यम से कोयला खदानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया और पाया कि यह मनमानी की बुराई से ग्रस्त है; योग्यता के आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और आवेदकों की कोई परस्पर तुलना नहीं की गई कि स्क्रीनिंग कमेटी का निर्धारण व्यक्तिपरक था और जिन कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे, उनमें से अधिकांश आवंटन के समय स्टील, बिजली या सीमेंट के उत्पादन में नहीं लगी थीं और न ही उन्होंने अपने आवेदन में यह खुलासा किया था कि कोयला ब्लॉक आवंटित किये जाने के समय बिजली, इस्पात या सीमेंट संयंत्र चालू थे या नहीं । मामले की जड़ तक जाने वाली उपरोक्त कानूनी खामियों को ध्यान में रखते हुए, 14 जुलाई, 1993 से स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आयोजित 36 बैठकों में की गई सिफारिशों के संदर्भ में कोयला ब्लॉकों का संपूर्ण आवंटन और केंद्र सरकार के माध्यम से परिणामी आवंटन वितरण मार्ग को अनुचित, अस्पष्ट और दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया।

16. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध की सत्यता का परीक्षण करने के लिए कि उसके मामले में, कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया "टी" का पालन किया गया था, घटनाओं के कालक्रम और अभिलेख में रखे गए दस्तावेजों की जांच करना अनिवार्य है। यह सही है कि, याचिकाकर्ता ने 8 नवंबर, 1994 को कलेक्टर (खनन), नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश को एक खनन पट्टे का आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन को निरीक्षण रिपोर्ट मांगने के लिए जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया है, उस क्षेत्र के तहसीलदार, गाडरवारा और खनन निरीक्षक, नरसिंगपुर को भेज दिया गया था। ज़मीनी काम तहसीलदार और खनन निरीक्षक द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रस्तावित क्षेत्र की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी खान सर्वेक्षक द्वारा पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदित क्षेत्र का मानचित्र भी प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया तथा मुख्य वन संरक्षक से सहमति प्राप्त की गयी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता से एक खनिज विश्लेषण रिपोर्ट मांगी गई थी और उपरोक्त सभी जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के बाद, कलेक्टर, नरसिंगपुर ने 15 मई, 1995 को प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, भोपाल (मध्य प्रदेश) को एक पत्र लिखा था, साथ ही, यदि कोई सरकारी अधिकृत इकाई क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं थी और याचिकाकर्ता को पट्टा दे दिया जाता है, तो इससे क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार का

सृजन होगा। इसलिए, कलेक्टर (खनन) ने नियमों और सरकार की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता को 30 साल की अवधि के लिए खनन पट्टा देने की सिफारिश की, कलेक्टर (खनन), नरसिंहपुर से प्राप्त पूर्वोक्त इनपुट के आधार पर, उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार ने उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई को 23 दिसंबर, 1995 को एक पत्र लिखा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने सभी जानकारी प्रस्तुत कर दी है। निर्दिष्ट क्षेत्र की कोयला खनन योजना के साथ एमसी नियम, 1960 के नियम 22 (3) (डी) (ई) (एफ) और (जी) के तहत आवश्यक प्रासंगिक जानकारी और जांच के बाद, याचिकाकर्ता को खनन पट्टा देने के लिए नियमों के तहत पात्र पाया गया, यह कहते हुए कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 5(1) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी, उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार ने उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई से याचिकाकर्ता के पक्ष में अपेक्षित मंजूरी देने का अनुरोध किया। यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में था कि उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार से प्राप्त सिफारिश पर उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा कार्रवाई की गई थी और 27 अगस्त, 1997 को पत्र जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के खनन पट्टे को मंजूरी दी गई थी।

17. घटनाओं का उपरोक्त क्रम उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा ली गई दलील को खारिज करता है कि खनन पट्टा केवल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया था। सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता ने स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया था, उसके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता। उक्त बैठकों में भाग लेने का यह अर्थ भी नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने खनन पट्टा देने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई को सीधे आवेदन किया था। वास्तव में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा 21 जून, 1996 को जारी पत्र में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में 24 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति के लिए कैप्टिव खनन ब्लॉक की पहचान के लिए याचिकाकर्ता का प्रस्ताव था। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया तब उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार कभी भी उनके रास्ते में नहीं आया। यह स्थिति उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को पृष्ठांकित उक्त पत्र की प्रतियों के अवलोकन से सामने आई है। क्रमांक (iv) पर "मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन" के स्थान पर "मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मुंबई" का नाम अंकित किया गया है, जिसकी पुष्टि दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई द्वारा इसे प्राप्त एक आरटीआई प्रश्न पर जारी उत्तर से होती है। संबंधित विभाग द्वारा

प्राप्त एक आरटीआई प्रश्न पर 6 अप्रैल, 2015 को अपने जवाब में उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार द्वारा भी इसी तरह का रुख अपनाया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसने जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया था और यह उक्त प्रस्ताव था जिसे राज्य सरकार ने उत्तरवादी क्रमांक को अनुशंसित किया था। आवश्यक अनुमोदन के लिए 1-यूओआई, उक्त स्थिति याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई को संबोधित दिनांक 3 जुलाई, 1996 के पत्र से स्पष्ट है। उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार को जारी 27 अगस्त 1997 का पत्र, जिसकी सामग्री तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दी गई है, भी इसी तर्ज पर है:

"13011/1/96-सीए दिनांक: 27.08.1997

प्रति,

श्री ए.के. त्रिवेदी,

अपर सचिव,

खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार,

बल्लभ भवन,

भोपाल

विषय: मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज को मोहपानी ब्लॉक के 2.49 वर्ग किलोमीटर खनन पट्टा प्रदान केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के संबंध में पत्राचार ।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 08.07.1997 के पृष्ठांकित पत्र के समर्थन का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है, जो बीएलए इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री अनुप कुमार अग्रवाल को संबोधित है, जिसमें कहा गया था कि खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार की नई सिफारिश की आवश्यकता होगी । हालाँकि, इस मंत्रालय में इसकी दोबारा जाँच की गई है। 2.49 वर्ग किलोमीटर खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार की दिनांक 23.12.1995 की सिफारिशों पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस क्षेत्र पर खनन योजना तैयार की गई है और अनुमोदित

की गई है और जिस क्षेत्र पर खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, वे एक ही हैं, हालांकि सिफारिश की तारीख,खनन योजना पर केंद्र सरकार के अनुमोदन की तारीख से काफी पहले की है ।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पत्र संख्या 3-72/95/12/2/5 दिनांक 23.12.1995 के तहत क्षेत्र में खनन पट्टा देने की सिफारिशों पर विचार किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मोहपानी और दो अन्य गांवों में 249.243 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज के पक्ष में खनन पट्टा देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी, जैसा कि धारा 5(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अनुशंसित है

3. 2.49 वर्ग किमी. के माइनिंग ब्लॉक क्षेत्र के निर्देशांक क्षेत्र को जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी मंजूरी में संलग्न अनुसंलग्नक में विस्तार से दर्शाया गया है जिससे कोल ब्लॉक की सटीक और भौतिक पहचान हो सके । इन्हें राज्य सरकार और मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच निष्पादित खनन पट्टा विलेख में उचित रूप से शामिल किया जा सकता है। पट्टा विलेख की एक प्रति कोयला मंत्रालय को भी प्रस्तुत की जा सकती है।

आपका विश्वासी

एसडी/-

(ए. बनर्जी)

निदेशक"

18. एक अन्य प्रासंगिक पहलू जो याचिकाकर्ता के पक्ष में पैमाना बताता है, वह उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामा है जो याचिकाकर्ता द्वारा ली गई दलील के अनुरूप है कि खनन पट्टा देने का निर्णय उसके पक्ष में है। केंद्र सरकार और/या स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सीधे जारी किए गए किसी भी आवंटन पत्र पर आधारित नहीं था, बल्कि राज्य सरकार द्वारा किए गए याचिकाकर्ता के आवेदन पर स्वतंत्र विचार पर आधारित था और एमएमडीआर अधिनियम सहपठित एमसी नियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार ने पहले फैसले द्वारा तय किए गए संबंधित मामलों में इस न्यायालय के समक्ष दायर 28 अक्टूबर, 2013 के अपने पहले के हलफनामे

का भी उल्लेख किया है, जिसमें उसने गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताया था। केंद्र सरकार द्वारा और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उक्त प्रक्रिया का पालन "एक को छोड़कर" सभी मामलों में किया गया था, जहां आवेदन सीधे राज्य सरकार को किया गया था, न कि केंद्र सरकार को। उक्त एक मामला यहां याचिकाकर्ता का बताया गया है ।

19. दूसरे शब्दों में, उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख की पुष्टि की है कि याचिकाकर्ता के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी रूट/सरकारी डिस्पेंसेशन रूट के माध्यम से कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और इसलिए अन्य मामलों के विपरीत, इसके पक्ष में निर्दिष्ट कोयला खदानों के आवंटन में कोई अवैधता नहीं थी। उत्तरवादी क्रमांक 2-राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख के आलोक में, जिसे रिकॉर्ड पर रखे गए पत्राचार के साथ सह-संबंधित किया जा सकता है, उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई की दलील है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी अपनी 9 वीं, 10 वीं, 14 वीं, 15 वीं, 16 वीं और 20 वीं बैठक में आवंटन को अवैध नहीं बनाएगी। याचिकाकर्ता और कोयला ब्लॉकों के अन्य आवंटियों के बीच कोई समानता नहीं बनाई जा सकती, जब याचिकाकर्ता ने खनन पट्टा देने के लिए उचित माध्यम से आवेदन करने की सही प्रक्रिया का पालन किया था और आवेदन प्राप्त होने पर, कलेक्टर (खान) नरसिंहपुर, खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को और आगे उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई को पूर्व अनुमोदन के लिए भेज दिया गया था।

20. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलील में बल पाते हैं कि याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया खनन पट्टा दुर्भावनापूर्ण नहीं था, जैसा कि अन्य आवंटियों के मामले में था। यह उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य सरकार थी जिसने खनन पट्टा देने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई को उसके मामले की सिफारिश करने से पहले याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच करने के लिए एक परिश्रमी कार्य किया था। उक्त सिफारिशों के आधार पर, उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई ने याचिकाकर्ता को कोयला ब्लॉक आवंटित करने का पत्र जारी किया था, न कि इसके विपरीत। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई को इस न्यायालय के समक्ष दायर अनुलग्नक-1 में याचिकाकर्ता का नाम और उसे आवंटित कोयला ब्लॉकों को शामिल नहीं करना चाहिए था, जो दूसरे फैसले का एक हिस्सा है। उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा दायर उक्त अनुलग्नक-1 और 2 की सामग्री को सत्य और सही मानते हुए, इस

न्यायालय ने अतिरिक्त लेवी के रूप में मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाला परिणामी आदेश पारित किया। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई की ओर से अनुलग्नक-1 में अपना नाम शामिल करने की त्रुटि के बारे में अदालत को सूचित करने का अवसर नहीं मिला, इसे दूसरे के पैरा-24 में की गई टिप्पणियों से समझा जा सकता है। इस आशय का निर्णय कि न्यायालय ने किसी व्यक्तिगत मामले पर विचार नहीं किया था, बल्कि केवल कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया पर विचार किया था, जो घातक रूप से त्रुटिपूर्ण पाई गई थी।

21. इसलिए यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता के रूप में किया गया कोयला ब्लॉक का आवंटन एमएमडीआर अधिनियम और एमसी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करता है। याचिकाकर्ता को स्क्रीनिंग कमेटी रूट या केंद्र सरकार डिस्पेंसेशन रूट के माध्यम से कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया था, इस तथ्य को उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा उचित चरण में इंगित नहीं किया गया था, जिसके कारण याचिकाकर्ता को उसी ब्रश से चित्रित किया गया था जैसा कि अनुलग्नक-1 और 2 में सूचीबद्ध अन्य आवंटियों को। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया का लाभार्थी नहीं था, दूसरे निर्णय में बताए गए परिणाम उस पर लागू नहीं होंगे और इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा मांग की गई क्षतिपूर्ति ,उसे जुर्माना के रूप में देने के लिये नहीं कहा जा सकता है।

22. उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित खदान से निकाले गए कोयले के लिए अतिरिक्त लेवी के भुगतान का दावा करने का हकदार नहीं है। उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई द्वारा उठाई गई ऐसी किसी भी मांग को रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त शर्तों पर रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अवमानना याचिका (सीआरएल.) क्रमांक 7/2016 को निराधार मानते हुए खारिज किया जाता है।

23. इस मामले से अलग होने से पहले, हम उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई के आचरण के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ करने के लिए बाध्य हैं। यहां एक ऐसा मामला है जहां एक निजी पार्टी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी रकम का निवेश करने से पहले, लागू होने वाले सभी नियमों और कानून का पालन किया। वास्तव में, मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई थी जिसने कानून का पालन नहीं किया। लेकिन अंततः, यह निजी पक्ष ही था जिसे उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई के लापरवाह और संवेदनहीन दृष्टिकोण का परिणाम भुगतना पड़ा। याचिकाकर्ता की परेशानी को और बढ़ाने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 1-यूओआई ने अपने गैरकानूनी आचरण के आधार पर याचिकाकर्ता को

दोषी खान मालिकों की सूची में शामिल करते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। इसने यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिश्रम नहीं किया कि क्या याचिकाकर्ता को वैध प्रक्रिया के माध्यम से खदान आवंटित की गई थी। उत्तरवादी क्रमांक 1 यूओआई के इस संवेदनहीन, लापरवाह और आकस्मिक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वर्तमान याचिकाकर्ता को नुकसान और अपमान सहना पड़ा।

24. इसलिए, मुकदमेबाजी की लागत रुपये निर्धारित की गई। उत्तरवादी क्रमांक 1- यूओआई द्वारा याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का भुगतान किया जाएगा ।

Abbreviation,
Law & Cited Case Law

1.	UOI	-	Union of India
2.	FC	-	Forest Conservation
3.	State Government	-	State of Madhya Pradesh
4.	MC Rules	-	Mineral Concession Rules
5.	MMDR Act	-	Development & Regulation
6.	RTI	-	Right to Information
7.	CMN Act	-	Coal Mines Nationalization Act
8.	**मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव और अन्य, (2014) 9 SCC 516**		

हिन्दी रुपांतरण

RAKESH KUMAR VERMA
Digitally signed by RAKESH KUMAR VERMA

राकेश कुमार वर्मा
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
जिला - दुर्ग (छ.ग.)